2025/27

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री धीरेन्द्र असारसा निवासी रोज व्यू आबूपर्वत जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 09 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.02.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 06.01.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम सानीगांव के खसरा संख्या 107, 108, 109 व 82 की जमाबन्दी की प्रति एवं खसरा संख्या 82 व 109 का कुल क्षेत्रफल कितना है और ग्राम ढूंढाई के खसरा संख्या 202 की जमाबन्दी की प्रति और उक्त भूमि किसके नाम से रजिस्टर्ड है, की जानकारी और ग्राम सानीगांव व ढूंढाई के उक्त खसरा संख्याओं से सम्बन्धित प्रथम सेटलमेन्ट से पूर्व का कोई दस्तावेज उपलब्ध है, तो उसकी जानकारी से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 06.01.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम सानीगांव के खसरा संख्या 107, 108, 109 व 82 की जमाबन्दी की प्रति एवं खसरा संख्या 82 व 109 का कुल क्षेत्रफल कितना है और ग्राम ढूंढाई के खसरा संख्या 202 की जमाबन्दी की प्रति और उक्त भूमि किसके नाम से रजिस्टर्ड है, की जानकारी और ग्राम सानीगांव व ढूंढाई के उक्त खसरा संख्याओं से सम्बन्धित प्रथम सेटलमेन्ट से पूर्व का कोई दस्तावेज उपलब्ध है, तो उसकी जानकारी से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2025/10 दिनांक 10.01.2025 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। [illegible] लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के स्तर [illegible] किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। [illegible] की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इ[illegible] फैसल शुमार होकर [illegible] से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 17:53:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner